

## जन सुनवाई के लिए पर्यावरण प्रभाव आकलन रिपोर्ट का सारांश

मौजूदा 1.90 MTPA के I/O बनेफिशिएशन (स्थापित), 0.35 MTPA कोल वॉशरी (स्थापित) के साथ 1.324 MTPA के पेलेट प्लांट, 400 Nm<sup>3</sup>/hr का PGP, 43 MW का कैप्टिव पावर प्लांट (WHRB आधारित 36 MW और कोयला एवं डोलोचर आधारित CFBC #7 MW) वाले स्टील प्लांट में 0.429 MTPA के स्पंज आयरन उत्पादन के लिए RHF से 2 x 650 TPD के DRI किलन में परिवर्तन के साथ 0.30 MTPA के M.S बिलेट्स/इनगोट्स के उत्पादन के लिए 2 x 50 टन के इंडक्शन फर्नेस के साथ CCM, रोलिंग मिल (0.265 MTPA) एवं 5 एमटीपीए कोल वाशरी की सुविधाओं को जोड़ना तथा डीआईपी स्पन पाइप प्लांट (0.3 एमटीपीए) की सुविधाओं को हटाने हेतु विस्तार एवं

### आधुनिकीकरण

पता :-

गांव-पाराघाट, तहसील-मस्तूरी, जिला-बिलासपुर छत्तीसगढ़



मेसर्स राशि स्टील एंड पावर लिमिटेड

गांव-पाराघाट, पोस्टऑफिस-जयरामनगर, तहसील-मस्तूरी, कोटमी सोनार रोड,,  
जिला-बिलासपुर, छत्तीसगढ़-495550

अप्रैल -2025

सामग्री

क्रम संख्या	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.0	परियोजना विवरण	3-4
2.0	पर्यावरण का विवरण	5-6
3.0	प्रत्याशित पर्यावरणीय प्रभाव और शमन उपाय	6-7
4.0	पर्यावरण निगरानी कार्यक्रम	7-8
5.0	अतिरिक्त अध्ययन	8
6.0	परियोजना लाभ	8
7.0	पर्यावरण प्रबंधन योजना	8-9

## 1.0 परियोजना विवरण

मेसर्स राशि स्टील एंड पावर लिमिटेड ने ग्राम-पाराघाट, तहसील-मस्तूरी, जिला-बिलासपुर छत्तीसगढ़ में स्थित में विस्तार का प्रस्ताव दिया है, जिसमें 1.90 एमटीपीए लौह अयस्क बेनेफिसिएशन (स्थापित), 0.35 एमटीपीए कोयला वाशरी (स्थापित), 1.324 एमटीपीए का पेलेट प्लांट, 400 एनएम3/घंटा पीजीपी, 43 मेगावाट का कैप्टिव पावर प्लांट (डब्ल्यूएचआरबी#36 मेगावाट और कोयला एवं डोलोचर आधारित सीएफबीसी#7 मेगावाट) के साथ 0.429 एमटीपीए स्पंज आयरन उत्पादन के लिए आरएचएफ से 2x650 टीपीडी में प्रौद्योगिकी परिवर्तन के साथ 5 एमटीपीए कोयला वाशरी, 0.30 एमटीपीए के एमएस बिलेट्स/इनगोट्स के उत्पादन के लिए 2 x 50 टन का इंडक्शन फर्नेस के साथ सीसीएम और रोलिंग मिल (0.265 MTPA) की अतिरिक्त सुविधा तथा SAF (0.243 MTPA) तथा DIP स्पन पाइप प्लांट (0.3 MTPA) की सुविधाओं को हटाना शामिल है।

परियोजना स्थल ग्राम-पाराघाट, तहसील-मस्तूरी, जिला-बिलासपुर छत्तीसगढ़ में स्थित है। जयराम अकालतारा रोड पश्चिम दिशा में 0.7 किमी दूर है, मस्तूरी सेपट रोड पश्चिम दिशा में 1.7 किमी दूर है और एनएच-49 परियोजना स्थल से दक्षिण दिशा की ओर लगभग 2.2 किमी दूर है। निकटतम रेलवे स्टेशन जयरामनगर रेलवे स्टेशन है, जो परियोजना स्थल से पश्चिम दिशा की ओर लगभग 2.7 किमी दूर स्थित है। निकटतम हवाई अड्डा बिलासा देवी केवट हवाई अड्डा, बिलासपुर है, जो साइट से पश्चिम की ओर लगभग 21.6 किमी दूर है। निकटतम बस्ती पाराघाट गांव है जो दक्षिण-पश्चिम दिशा में 0.6 किमी दूर है। जयरामनगर शहर पश्चिम दिशा में 2 किमी दूर है। लीलागर नदी परियोजना स्थल से पूर्व दिशा की ओर 0.12 किमी दूर बह रही है और अरपा नदी पूर्व दिशा की ओर 9.4 किमी दूर है। क्षेत्र में जलवायु अत्यधिक तापमान भिन्नता के साथ शुष्क है। कोई भी राष्ट्रीय उद्यान/अभयारण्य संयंत्र क्षेत्र के 5 किमी के भीतर नहीं आता है। पूर्व दिशा में 2.7 किमी पर एक क्रोकोडाइल पार्क है।

प्रस्तावित परियोजना को ईआईए अधिसूचना 2006 और आज तक के इसके संशोधन के अनुसार अनुसूची 3 (ए) धातुकर्म उद्योग (लौह और अलौह) की श्रेणी "ए" के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिसके अनुसार एमओईएफ और सीसी, नई दिल्ली से पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त करना अनिवार्य है। इसलिए, ईआईए अध्ययन करने के लिए संदर्भ की शर्तें (टीओआर) प्राप्त करने के लिए आवेदन संख्या आईए/सीजी/आईएनडी1/492697/2024 दिनांक 13.08.2024 के माध्यम से एमओईएफ और सीसी, नई दिल्ली को पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्ट के साथ आवेदन प्रस्तुत किया गया था। तदनुसार 20.01.2025 को फाइल संख्या जे-11011-466-2010-आईए-II(1) के माध्यम से टीओआर प्रदान किया गया।

## परियोजना प्रमोटर:

मेसर्स राशि स्टील एंड पावर लिमिटेड एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो कंपनी अधिनियम 2013 के तहत निगमित है तथा इसे 28.08.2009 को विधिवत C.I.N U27205CT2009PLC007869 आवंटित किया गया है, जिसे श्रीमती ज्योति अग्रवाल द्वारा प्रवर्तित किया गया है। कंपनी का प्रबंधन निम्नलिखित निदेशकों द्वारा किया जाता है:- :-

- श्री प्रकाश बेहरा, आयु लगभग 39 वर्ष, योग्यता के अनुसार वाणिज्य स्नातक, लौह एवं इस्पात उद्योगों में 12 वर्षों से अधिक का अनुभव।
- श्री प्रेम चंद्र झा, आयु लगभग 43 वर्ष, योग्यता के अनुसार सॉफ्टवेयर इंजीनियर, लौह एवं इस्पात उद्योगों में 20 वर्षों से अधिक का अनुभव।

## परियोजना लागत और जनशक्ति

मौजूदा इकाई की परियोजना लागत 56.08 करोड़ रुपये है। प्रस्तावित विस्तार के लिए 1305.92 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है, जिससे कुल परियोजना लागत 1362 करोड़ रुपये हो जाएगी।

विस्तार के बाद परियोजना के संचालन के दौरान कुल 1790 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा।

## भूमि जल और बिजली की आवश्यकता

परियोजना में शामिल कुल भूमि 67 हेक्टेयर है। पहले दी गई ईसी के अनुसार, परियोजना की भूमि 2 गांवों (पराघाट-56.89 हेक्टेयर और बेलटुकरी-10.11 हेक्टेयर) के अंतर्गत आती है। अब पीपी ने बेलटुकरी गांव से 10.11 हेक्टेयर भूमि हटाकर उसी क्षेत्र में पराघाट गांव की भूमि से बदल दी है, जिसके कारण परियोजना की सीमा बदल गई है। हालांकि, कुल परियोजना क्षेत्र वही रहेगा। कुल भूमि प्रस्तावक के कब्जे में है।

परियोजना के लिए 2880 केएलडी पानी की आवश्यकता है, जिसे लीलागर नदी से प्राप्त किया जाएगा।

परियोजना के लिए कुल 67 मेगावाट बिजली की आवश्यकता होगी, जिसमें से 43 मेगावाट इन-हाउस बिजली संयंत्र से प्राप्त की जाएगी और शेष राज्य ग्रिड से ली जाएगी।

मौजूदा ग्रीनबेल्ट 7.22 हेक्टेयर में फैला हुआ है, जिसे विस्तार के बाद बढ़ाकर 22.12 हेक्टेयर कर दिया जाएगा। वर्तमान में, साइट पर 17800 पेड़ मौजूद हैं। प्रस्तावित विस्तार के बाद 38,000 और पेड़ लगाए जाएंगे, जिससे पेड़ों की कुल संख्या 55,800 हो जाएगी, जिससे <2500 से अधिक पेड़/हेक्टेयर की आवश्यकता पूरी हो जाएगी।

## 2.0 आधारभूत पर्यावरण का विवरण

आधारभूत पर्यावरण अध्ययन 1 मार्च, 2024 से 31 मई, 2024 (प्री मानसून सीजन) की अवधि के लिए किया गया है। बेसलाइन डेटा मेसर्स जीआरसी इंडिया ट्रेनिंग एंड एनालिटिकल लेबोरेटरी, नोएडा द्वारा एकत्र किया गया है। एनएबीएल द्वारा मान्यता प्राप्त, एमओईएफ एंड सीसी, नई दिल्ली द्वारा भी मान्यता प्राप्त है।

### परिवेशी वायु गुणवत्ता का सारांश

- अध्ययन के दौरान परियोजना स्थल पर पीएम<sub>10</sub> 68.2 से 87.6  $\mu\text{g}/\text{m}^3$  की सीमा में पाया गया, जबकि 10 किमी के अध्ययन क्षेत्र में 57.3 से 87.6  $\mu\text{g}/\text{m}^3$  की सीमा में देखा गया। परियोजना स्थल पर पीएम<sub>10</sub> की अधिकतम सांद्रता पाई गई, यह कारखाना अधिनियम के दायरे में है।
- परियोजना स्थल पर PM<sub>2.5</sub> की मात्रा 37.6 से 50.3  $\mu\text{g}/\text{m}^3$  के बीच पाई गई, जबकि 10 किलोमीटर के अध्ययन क्षेत्र में यह 27.9 से 50.3  $\mu\text{g}/\text{m}^3$  के बीच देखी गई। परियोजना स्थल पर PM<sub>2.5</sub> की अधिकतम सांद्रता पाई गई।
- परियोजना स्थल पर SO<sub>2</sub> 8.7 से 11.3  $\mu\text{g}/\text{m}^3$  की सीमा में पाया गया जबकि 10 किलोमीटर के अध्ययन क्षेत्र में यह 4.3 से 11.3  $\mu\text{g}/\text{m}^3$  की सीमा में देखा गया। SO<sub>2</sub> की अधिकतम सांद्रता परियोजना स्थल पर पाई गई।
- परियोजना स्थल पर NO<sub>2</sub> 24.9 से 30.6  $\mu\text{g}/\text{m}^3$  की सीमा में पाया गया जबकि 10 किलोमीटर के अध्ययन क्षेत्र में यह 10.6 से 30.6  $\mu\text{g}/\text{m}^3$  की सीमा में देखा गया। NO<sub>2</sub> की अधिकतम सांद्रता परियोजना स्थल पर पाई गई, हालांकि यह कारखाना अधिनियम के दायरे में है।
- परियोजना स्थल पर CO 330 से 600  $\mu\text{g}/\text{m}^3$  की सीमा में पाया गया जबकि 10 किलोमीटर के अध्ययन क्षेत्र में यह 180 से 600  $\mu\text{g}/\text{m}^3$  की सीमा में देखा गया। परियोजना स्थल पर CO की अधिकतम सांद्रता पाई गई, हालांकि यह कारखाना अधिनियम के दायरे में है।

### शोर स्तरों का सारांश

अध्ययन अवधि के दौरान अध्ययन क्षेत्र के आसपास दिन के शोर स्तरों का आकलन 47.8 से 63.4 dB (A) के बीच है। जबकि रात के समकक्ष 38.5 से 52.4 dB (A) की सीमा में थे।

### भूजल गुणवत्ता का सारांश

- pH 7.26-7.53 की सीमा में देखा गया जो वांछनीय मानदंडों को पूरा करता है।
- कुल घुलित ठोस पदार्थ 180 से 440 mg/L की सीमा में दर्ज किए गए, जो कि पिपरसट्टी गांव में बोरवेल के पानी में न्यूनतम और खुददुभाटा गांव में बोरवेल के पानी में अधिकतम थे।

- कुल कठोरता 168-293 mg/L की सीमा में थी, जो कि पिपरसट्टी गांव में बोरवेल के पानी में न्यूनतम और खुददुभाटा गांव में बोरवेल के पानी में अधिकतम थी।
- कुल खारापन 96-257 mg/L की सीमा में पाया गया, जो पिपरसट्टी गांव के पास बोरवेल के पानी में न्यूनतम और रसेरा गांव के बोरवेल के पानी में अधिकतम था।
- आयरन 0.21-0.59 mg/L की सीमा में पाया गया, जो परियोजना स्थल के पास बोरवेल के पानी में न्यूनतम और खुददुभाटा गांव के बोरवेल के पानी में अधिकतम था।
- माइक्रोबायोलॉजिकल मापदंडों के रूप में MPN विश्लेषण भी किया गया और यह शून्य पाया गया।

## सतही जल गुणवत्ता का सारांश

निम्न विवरण नमूनों के विश्लेषण पर आधारित है:

- विश्लेषण के दौरान नमूनों का pH 7.44-8.23 की सीमा में पाया गया।
- सतही जल के नमूने के लिए TDS विश्लेषण भी किया गया और यह 345-1010 mg/L की सीमा में पाया गया।
- विश्लेषण के दौरान मापा गया DO 2.8-6 mg/L की सीमा में पाया गया।
- विश्लेषण के दौरान मापी गई COD 10-80 mg/L की सीमा में पाई गई।
- विश्लेषण के दौरान मापी गई BOD 3.1-26.4 mg/L की सीमा में पाई गई।
- विश्लेषण के दौरान कुल खारापन 145-350 mg/L की सीमा में पाया गया।
- इस सतही जल नमूने के लिए MPN परीक्षण भी किया गया और यह सकारात्मक पाया गया। यह सतही जल निकाय में मल संदूषण की ओर संकेत करता है।

## मिट्टी की गुणवत्ता का सारांश

मिट्टी पौधों की वृद्धि के लिए पोषक तत्वों की आपूर्ति का माध्यम है। पोषक तत्व पौधों को एक निश्चित pH पर उपलब्ध होते हैं और मिट्टी का pH इसमें हवा, पानी या ठोस अपशिष्ट या इन सभी के द्वारा प्रदूषकों के जुड़ने से परिलक्षित हो सकता है। मिट्टी की विशेषताओं की आधारभूत स्थिति स्थापित करने के लिए, 05 नमूना स्थानों से मिट्टी के नमूने एकत्र किए गए। विश्लेषण के परिणाम बताते हैं कि मिट्टी क्षारीय प्रकृति की है क्योंकि पीएच मान 7.78 से 8.31 तक है, कार्बनिक कार्बन 0.58 से 0.89% तक है, कुल नाइट्रोजन 187.65 से 259.35 किलोग्राम/हेक्टेयर है, कुल फॉस्फोरस 17.05 से 20.62 किलोग्राम/हेक्टेयर है, उपलब्ध पोटेसियम 318.64 से 399.23 किलोग्राम/हेक्टेयर है। मिट्टी के नमूनों में फॉस्फोरस और पोटेसियम की सांद्रता अच्छी मात्रा में पाई गई है। परियोजना स्थल पर मिट्टी की बनावट रेतीली दोमट है।

## सामाजिक आर्थिक वातावरण

अध्ययन क्षेत्र में 36 पहचानी गई बस्तियाँ हैं जिनमें से 35 गाँव और एक शहर है।

सर्वेक्षण के अनुसार अध्ययन क्षेत्र की कुल जनसंख्या 4,21,016 है, जिसमें से 51 प्रतिशत पुरुष तथा शेष 49 प्रतिशत महिलाएँ हैं। अध्ययन क्षेत्र की साक्षरता दर 55.98 प्रतिशत है।

## परिस्थिति विज्ञान और जैव विविधता

अध्ययन क्षेत्र में मौजूद प्रमुख वृक्ष प्रजातियाँ हैं आम (मैग्निफेरा इंडिका), अमरा (स्पोर्टियास पिनाटा), बेल (एगल मार्मेलोस), गूलर (फिकस रेसमोसा), पाकुड़ (फिकस इन्फेक्टोरिया), सिरिश (अल्बिज़िया लेबेक), कटहल (आर्टोकार्पस एसपीएस), नीम (अज़ादिराक्टा इंडिका) आदि।

प्रमुख पर्वतारोही प्रजातियों में अलकुशी (मुकुना पुरिता), धुंधुल (लफा सिलिंड्रिका), हरकारा (अल्लामांडा कैथर्टिका), मनी प्लांट (सिंडापस ऑरियस) आदि शामिल हैं।

अध्ययन क्षेत्र में धाने (एराग्रोस्टिस टेनेला), कारेल (डेंड्रोक्लैमस एसपीएस), ओलू घास (इम्पेराटा सिलिंड्रिका) आदि घास भी दर्ज की गई।

अध्ययन क्षेत्र में मौजूद प्रमुख स्तनधारी हैं छोटी लोमड़ी (वल्पेस बंगालेंसिस), बंदर (मकाका मुल्टा), कॉमन मोनगूस (हर्पेस्टेस एडवर्ड्सि) आदि।

अध्ययन क्षेत्र के पक्षियों में ब्लैक विंग्ड काइट (एलनस कैर्यूलस), कॉमन स्विफ्ट (एपस एपस), रॉक पिजन (कोलंबा लिविया), क्रेन (एंटीगोन एंटीगोन) आदि शामिल हैं।

परिस्थिति विज्ञान और जैव विविधता के अध्ययन के दौरान अध्ययन क्षेत्र में ढांडा (ज़ेनोक्रोफिसपिस्केटर), कॉमन कोबरा (नाजा नाजा), गार्डन छिपकली (कैलोट्स वर्सिकलर) आदि जैसे सरीसृप और कॉमन फ्रॉग (यूफिलक्टिस हेक्साडैक्टाइला), इंडियन बुल फ्रॉग (राना टिग्रीना) आदि जैसे उभयचर भी दर्ज किए गए।

सभी देखे गए जीवों में से, ब्लैक विंग्ड काइट (एलनस कैर्यूलस), व्हाइट स्टॉक (सिकोनिया सिकोनिया), क्रेन (एंटीगोन एंटीगोन), कॉमन रैट स्मैक (प्यास म्यूकोसस), कॉमन इंडियन क्रेट (बंगारस कैर्यूलस), इंडियन कोबरा (नाजा नाजा), रसेल वाइपर (विपेरा रसेली) और बंगाल फॉक्स (वल्पेस बंगालेंसिस) वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार

अनुसूची-1 के तहत संरक्षित हैं, जिसे 2022 में संशोधित किया गया है। उनके लिए संरक्षण योजना तैयार की गई है और पीसीसीएफ, पश्चिम बंगाल को प्रस्तुत की गई है।

### 3.0 प्रत्याशित पर्यावरणीय प्रभाव और शमन उपाय

- कोयला हैंडलिंग के दौरान धूल उत्पादन को कम करने के लिए पानी के छिड़काव का उपयोग किया जाएगा।
- धूल उत्पादन को कम करने के लिए गीली धूल दमन प्रणाली स्थापित की जाएगी।
- सभी बेल्ट कन्वेयर को कवर किया जाएगा। आंतरिक सड़कों को कंक्रीट किया जाएगा।
- कार्यशालाओं और अन्य कार्य क्षेत्रों में औद्योगिक वैक्यूम क्लीनर का उपयोग किया जाएगा।
- सभी आंतरिक सड़कों की दैनिक सफाई के लिए यांत्रिक सड़क सफाई मशीनों को तैनात किया जाएगा।
- कोई औद्योगिक अपशिष्ट जल निर्वहन नहीं होगा क्योंकि संयंत्र को शून्य अपशिष्ट निर्वहन सिद्धांत पर डिजाइन किया जाएगा।
- बिजली संयंत्र से निकलने वाले अपशिष्ट को ईटीपी में उपचारित किया जाएगा और फिर स्लैग शमन, राख कंडीशनिंग और धूल दमन के लिए पुनः उपयोग किया जाएगा।
- घरेलू अपशिष्ट जल को एसटीपी में उपचारित किया जाएगा और उपचारित पानी का उपयोग सिंचाई के उद्देश्य से किया जाएगा।
- शून्य अपशिष्ट निर्वहन का अभ्यास किया जाएगा।
- 100% अपशिष्ट जल को पुनर्चक्रित किया जाएगा और शून्य निर्वहन की स्थिति बनाए रखी जाएगी।
- कम शोर उत्सर्जित करने वाले संयंत्र और मशीनरी का चयन किया जाएगा। 33% भूमि क्षेत्र को ग्रीनबेल्ट के रूप में विकसित किया जाएगा। संयंत्र की सीमा पर शोर का स्तर 70 डीबीए से कम रखा जाएगा।
- मौजूदा ट्रक आंदोलन पैटर्न में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं किया जाएगा। परिवहन अधिकारियों के परामर्श से उचित यातायात प्रबंधन योजना लागू की जाएगी।

### 4.0 पर्यावरण निगरानी कार्यक्रम

नियमित पर्यावरण निगरानी करने के लिए पर्यावरण प्रबंधन प्रकोष्ठ (ईएमसी) बनाया गया है। निर्धारित कानूनों और मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए निगरानी की जाएगी। ईएमसी का प्रमुख प्लांट हेड को रिपोर्ट करता है। ईएमसी में योग्य कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी। परिवेशी वायु, स्टैक उत्सर्जन, भगोड़ा धूल उत्सर्जन, शोर के स्तर, भूजल गुणवत्ता, सतही जल गुणवत्ता और मिट्टी की पर्यावरण निगरानी मानदंडों के अनुसार की जाती है। ईएमसी निम्नलिखित कार्यों के लिए जिम्मेदार है:-

नियमित निगरानी:-

- कार्य वातावरण में फ्यूजिटिव उत्सर्जन को मापना, PM25 और PM10 को मापना और सुधारात्मक और निवारक कार्रवाई शुरू करने के लिए किसी भी असामान्यता की रिपोर्ट करना।
- क्रशर की हवा के ऊपर और नीचे की दिशा में, प्लांट की सीमा पर परिवेशी वायु गुणवत्ता को मापना।
- अपशिष्ट जल की गुणवत्ता (इनलेट और आउटलेट) की जाँच करना।
- परियोजना क्षेत्र और आसपास के गाँवों के पास भूजल की गुणवत्ता की जाँच करना।
- अध्ययन क्षेत्र में साइट के ऊपर और नीचे की ओर मौजूद जल निकाय की जल गुणवत्ता।
- प्लांट की सीमा, निकटतम आवास, राजमार्ग के पास और कार्य क्षेत्रों में शोर की निगरानी।
- प्लांट की सीमा के भीतर ग्रीनबेल्ट और हरियाली का विकास और रखरखाव।

## 5.0 अतिरिक्त अध्ययन

आपात स्थिति में परियोजना क्षेत्र में आग से निपटने के लिए पर्याप्त अग्नि शमन उपाय सुनिश्चित किए जाएँगे। किसी भी दुर्घटना के दौरान जन स्वास्थ्य एवं सुरक्षा का ध्यान रखने के लिए आपदा प्रबंधन योजना तैयार की गई है।

सीईआर मानदंडों के अनुसार सीईआर किया जाएगा। आम तौर पर, सीईआर राशि का उपयोग स्थानीय स्कूलों में कक्षा-कक्ष बनाने, शिक्षण सहायक सामग्री उपलब्ध कराने, सामुदायिक केंद्र बनाने, आस-पास के गाँवों में पेयजल सुविधा विकसित करने, क्षेत्र में बांध और चेक डैम जैसी वर्षा जल संचयन संरचनाएं बनाने, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में बुनियादी सुविधाएं और उपकरण विकसित करने के लिए किया जाता है।

एमओईएफ और सीसी कार्यालय ज्ञापन F.No.22-65/2017-IA.III दिनांक 30 सितंबर 2020 के अनुसार, CER बजट के लिए 7.00 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

## 6.0 परियोजना के लाभ

प्रस्तावित परियोजना से अध्ययन क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक वातावरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। यह भौतिक अवसंरचना सुविधाओं के आगे के विकास सहित इस क्षेत्र के विकास को बनाए रखने में मदद करता है। निर्माण चरण के दौरान लगभग 200-300 दैनिक मजदूरी के आधार पर लोगों को रोजगार मिलेगा। संचालन चरण के दौरान 1790 लोगों की आवश्यकता होगी। अर्ध-कुशल और अकुशल श्रेणी में रोजगार के लिए स्थानीय आबादी को प्राथमिकता दी जाएगी; इससे आसपास के क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। जीएसटी के माध्यम से राज्य और केंद्र के खजाने में अधिक राजस्व उत्पन्न होगा।

## 7.0 पर्यावरण प्रबंधन योजना

पर्यावरणीय प्रभावों के प्रभावी प्रबंधन और उचित प्रबंधन प्रक्रियाओं के माध्यम से पर्यावरण की समग्र सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पर्यावरण प्रबंधन योजना विकसित की गई है। अनुशंसित शमन उपायों को लागू करने और ईएमपी को संस्थागत बनाने के लिए, 25.60 करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय का बजटीय प्रावधान किया गया है और आवर्ती वार्षिक व्यय 1.00 करोड़ रुपये होगा।

पर्यावरण प्रबंधन प्रकोष्ठ (ईएमसी) यह सुनिश्चित करेगा कि सभी वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण, अपशिष्ट उपचार संयंत्र और जल पुनः परिसंचारी प्रणालियाँ प्रभावी रूप से कार्य करें। ईएमसी अधिकृत विक्रेताओं को प्रयुक्त तेल और स्नेहक तथा प्रयुक्त बैटरियों के निपटान की भी निगरानी करेगा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए निर्माण चरण के दौरान वृक्षारोपण शुरू किया जाएगा। संसाधन संरक्षण (कच्चा माल, पानी, आदि), वर्षा जल संचयन और सामाजिक वानिकी विकास की योजनाएँ ईएमसी द्वारा शुरू की जाएँगी। कर्मचारियों के लिए नियमित पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएँगे।

कर्मचारियों की समय-समय पर स्वास्थ्य जाँच की जाएगी। ईएमसी संयंत्र में स्वच्छता और औद्योगिक स्वच्छता सुनिश्चित करेगा। सुरक्षा विभाग के साथ मिलकर ईएमसी संयंत्र चालू होने के दौरान संभावित खतरे के परिदृश्यों की पूरी समीक्षा करेगा। समीक्षा प्रदूषण निवारण, संसाधन संरक्षण, दुर्घटना रोकथाम और अपशिष्ट न्यूनीकरण के लिए प्रस्तावित सुरक्षा उपायों के प्रवर्तन को सुनिश्चित करेगी। ईएमपी के कार्यान्वयन से यह सुनिश्चित होगा कि परियोजना के सभी तत्व अपने पूरे जीवन चक्र में प्रासंगिक पर्यावरण कानून का अनुपालन करते हैं।

### **पर्यावरण सलाहकर्ता :-**

ग्रास रूट्स रिसर्च एंड क्रिएशन इंडिया (पी) लिमिटेड।

(क्यूसीआई/एनएबीईटी मान्यता प्राप्त संख्या. एनएबीईटी/ईआईए/24-27/आरए 0354)

एफ-374-375, सेक्टर-63, नोएडा, उ.प्र.

फ़ोन: 0120-4044630, टेलीफैक्स: 0120-2406519

ईमेल: [eia@grc-india.com](mailto:eia@grc-india.com), [grc.enviro@gmail.com](mailto:grc.enviro@gmail.com)

वेबसाइट: <http://www.grc-india.com>